जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

R.E.O.187

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पी.पी.एम./फा० आर.ई.ओ./प्रे० 1586 दिनांक 27-08-2010

आदेश

विषयः– भविष्य में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कृषि कनेक्शन हेतु जारी निर्देश क्रमांक 12(10)ऊर्जा/2006 दिनांक 26.08.10 की अनुपालना में कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु निम्न प्रावधान आदेशित किये जाते है :–

1. कृषि कनेक्शन हेतु थ्री स्टार अथवा इससे ऊपर की रेटिंग वाले ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित पम्पसेटं व फव्वारा/ड्रिप सिस्टम स्थापित करना ऐच्छिक होगा।
2. जो कृषक एनर्जी एफिशियेन्सी पम्प का विकल्प चयन करते हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम थ्री स्टार रेटेड पम्प सेट स्थापित करेंगे उन्हें रुपये 500/– प्रति हॉर्सपावर की दर से राशि विद्युत निगम द्वारा अनुदानित की जावेगी यह अनुदान राशि कृषकों को उन्हें जारी मासिक विद्युत बिलों में 12 समान किश्तों में समायोजित की जावेगी। यह समायोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित पम्प सेट लगाये जाने का बिल सहित विवरण प्रस्तुत करने एवं संबंधित कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता द्वारा स्थापना प्रमाणित किये जाने पर ही देय होगी।
3. वित्तीय वर्ष 2010–11 में कृषकों द्वारा अपनी कृषि भूमि पर फव्वारा/ड्रिप सिस्टम स्थापित करने पर इसके पांच हैक्टेयर की भूमि पर हुए खर्चे का 70 प्रतिशत भाग कृषि विभाग द्वारा एम.आई.एस./आर.के.वी.वाई. फण्ड से उपलब्ध कराया जावेगा। इसके लिए कृषकों को कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में औपचारिकताएं संबंधित कृषि कार्यालय में पूरी करनी होगी।
4. उपरोक्त बिन्दु 2 व 3 में इंगित अनुदान का प्रावधान उन कृषकों पर भी लागू होगा जिनके कृषि कनेक्शन 01.04.2010 के बाद जारी हुए है एवं जिन्होनें कम से कम थ्री स्टार रेटेड पम्प सेट व फव्वारा/बूंद-बूंद सिंचाई पद्वति स्थापित की है।

यह आदेश पूर्व में जारी आदेश आर.ई.ओ. 182 एवं आर.ई.ओ. 185 के अधिक्रमण में जारी किये जाते है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(के.आर.मेहता)
अधीक्षण अभियन्ता (पीपीएण्डएम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर